उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या 818/9–9–2016–170ज / 2006
लखनऊ दिनांक 08.09.2016

अधिसूचना

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7, सन् 2014) की धारा 38 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारियों और नगरीय फेरी समितियों से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना विरचित करती है और उसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के सूचनार्थ अधिसूचित करती है:

उत्तर प्रदेश पथ विक्रेताओं हेतु योजना–2016

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह योजना "उत्तर प्रदेश पथ विक्रेताओं हेतु योजना, 2016" कही जायेगी।
(2) यह उत्तर प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं पर लागू होगी।
(3) यह प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिकाओं पर लागू होगी।

परिभाषायें

2. (1) इस योजना में,
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7, सन् 2014) से है:
(ख) 'प्रारूप' का तात्पर्य इस योजना से संलग्न प्रारूप से है:
(ग) 'नगरपालिका' का तात्पर्य यथास्थिति उत्तर प्रदेश राज्य के नगर निगम, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत, से है:
(2) इस योजना में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के कमशः वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में समनुदेशित हैं।

योजना

3 उत्तर प्रदेश राज्य में पथ विक्रय के सम्बन्ध में निम्नलिखित योजना लागू होगी:–
(क) सर्वेक्षण करने की रीति–सर्वेक्षण के लिये प्रयोग की जा सकने वाली रीति निम्नवत् है:–
(एक) जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मानचित्रणः
(दो) डिजीटिलाइज्ड फोटो जनगणनाः
(तीन) फोटो पहचान पत्र के साथ बायोमीट्रिकः
(चार) बाजार एवं पथ विक्रय क्षेत्रों में गठित दल द्वारा पंजीकरण शिविर।
(ख) अवधि जिसमें सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किये गये पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा–जैसे ही सर्वेक्षण और पंजीकरण की प्रकिया पूर्ण हो जाये, पथ विक्रेताओं के पंजीकरण के साठ दिवसों के अन्दर पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किये जायेंगे।

(ग) पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए निबन्धन और शर्तें– पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी करने के नियम और शर्तें जैसा कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम सं0–7, सन् 2014) में प्राविधानित है, पथ विक्रेता को जारी विक्रय प्रमाण–पत्र में समाविष्ट हैं, निम्नवत् होंगी–

(एक) स्थिर पथ विक्रय के लिए स्थायी संरचना निर्माण करने पर रोक रहेगी;

(दो) पथ विक्रेता, नगरीय फेरी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का नियमित रूप से और समय पर भुगतान करेगा;

(तीन) पथ विक्रय के दौरान जनित अपशिष्ट को सड़क, फुटपाथ पर या नाली या सीवर में नहीं फेंका जायेगा। अपशिष्ट कूड़ादान में एकत्र किया जायेगा और घर–घर से अपशिष्ट एकत्र करने वाली नगरपालिका द्वारा अधिकृत एजेन्सी को हस्तगत कराया जायेगा। इस सेवा हेतु उन्हें मासिक प्रयोक्ता प्रभार भुगतान करना होगा;

(चार) प्रत्येक पथ विक्रेता विक्रय–स्थल और उसके संलग्न क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखेगा। खाद्य पदार्थ बेचने वाले पथ विक्रेता जन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखेगें;

(पॉच) पथ विक्रय प्रमाण –पत्र में उल्लिखित आवण्टित स्थल और समय पर ही पथ विक्रय किया जायेगा। इसका उल्लंघन अधिनियम और इस योजना का उल्लंघन माना जायेगा और विक्रेता अधिनियम के प्राविधानों के अधीन नियत शास्ति जिसमें पथ विक्रय प्रमाण–पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, का भागी होगा;

(छः) पथ विक्रेता नागरिक सुविधाओं का रख–रखाव और संलग्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा;

(सात) पथ विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि पथ विक्रय की गतिविधियों के कारण यातायात/वाहनों का सुगम प्रवाह और जन सुविधायें बाधित न हो;

(आठ) पथ विक्रेता प्रतिबन्धित वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। वे ऐसी कोई गतिविधि/कार्य/व्यापार/सेवा–कार्य नहीं करेगें, जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हो या लोक बाधा उत्पन्न करते हों;

(नौ) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की धारा 18 के प्राविधानों के अधीन स्थान उपलब्ध होने पर संलग्न पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेता पुनर्स्थापित किये जा सकते हैं;

(दस) पथ विक्रेता, नगरीय फेरी समिति, नगर पालिका और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण करेगा;

(ग्यारह) पथ विक्रेता द्वारा उपरिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार शास्ति, जिसमें पथ विक्रय प्रमाण –पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, पथ विक्रेता पर आरोपित की जायेगी;

(बारह) पथ विक्रेता, प्रमाण–पत्र जारी होने के समय निम्नलिखित वचन देगाः–

वचनबंध

"मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .....घोषणा करता / करती हूँ कि :–

(1) मैं पथ विक्रय का कार्य स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से करूँगा / करूँगी ;

(2) मेरे पास जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है;

(3) मैं पथ विक्रय प्रमाण–पत्र अथवा उसमें विनिर्दिष्ट स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी प्रकार से, जिसमें किराया भी सम्मिलित है, हस्तान्तरित नहीं करूँगा / करूँगी।

(घ) पथ विक्रेता के हस्ताक्षर जारी किये जाने वाले पथ विक्रय प्रमाण–पत्र का प्रारूप और रीति–पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण–पत्र प्रारूप–3 में जारी किया जायेगा और सम्बन्धित नगरीय फेरी समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

(ड.) पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी करने का प्रारूप और रीति–प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसे पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, को प्रारूप–4 में परिचय–पत्र दिया जायेगा।

(च) पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए मापदण्ड–पथ विक्रताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के लिये मापदण्डः

(एक) टी.वी.सी. की ओर से किये गये सर्वेक्षण की सूची में नाम अंकित होना चाहिए।

(दो) केवल पथ विक्रेता होना चाहिए और सम्बन्धित नगर पालिका में पंजीकृत होना चाहिए।

(तीन) एक ही व्यक्ति द्वारा किसी अन्य स्थान में कोई अन्य समानांतर पथ विक्रय स्थल नहीं होना चाहिये।

(चार) स्वंय द्वारा या परिवार द्वारा या अन्य ऐसे लोगों के माध्यम से जो उसमें सम्मिलित हो पथ विक्रय का कार्य किया जाना चाहिये।

(पॉच) कोई पथ विक्रेता जिसमें 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

(छ) पथ विक्रय प्रमाण पत्र का किसी भी दशा में किसी अन्य को पट्टा या विक्रय नही किया जा सकता है और इसके लिये वचनबंध शपथ–पत्र पर नगरीय फेरी समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(छ) पथ विक्रय शुल्क की दरें–पथ विक्रय शुल्क, जैसा कि नगरीय फेरी समिति द्वारा समय–समय पर नियत की जाय, पथ विक्रेता भुगतान करेगा। नगरीय फेरी समिति स्थानीय क्षेत्र और पथ विक्रेताओं की श्रेणी के सम्बन्ध में पथ विक्रय शुल्क नियत करेगी।

(ज) शुल्क एवं प्रभारों के संग्रह की रीति–नगरपालिका या नगरीय फेरी समिति द्वारा विक्रय शुल्क, अनुरक्षण प्रभार, दण्ड, विक्रय शुल्क और नागरिक सुविधायें प्रदान किए जाने के लिए शुल्क का उद्ग्रहण बैंक के माध्यम से किया जायेगा। उपरोक्तानुसार संगृहीत धनराशि, नगरीय फेरी समिति के अध्यक्ष और इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत नगर पालिका

के किसी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित पृथक बैंक खाते में रखी जायेगी। शुल्क नकद या ड्रॉफ्ट या चेक के रूप में या इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।

(झ) पथ विक्रय–पत्र की वैधता अवधि–पथ विक्रय प्रमाण–पत्र तीन वर्षों के लिए जारी किया जायेगा।

(ञ) अवधि और रीति जिसमें पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकेगा–यदि पथ विक्रेता द्वारा सभी नियम और शर्तों का विवेकपूर्ण अनुसरण किया जाता है तो सम्बन्धित नगरीय फेरी समिति द्वारा जैसा विहित किया जाय ऐसे शुल्क के भुगतान करने पर पथ विक्रय प्रमाण –पत्र अगले पॉच वर्षो के लिए समय–समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

(ट) विक्रय प्रमाण–पत्र के निलम्बन या निरस्तीकरण की रीति–अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर नगरीय फेरी समिति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी विक्रय प्रमाण–पत्र के निरस्तीकरण या निलम्बन हेतु कार्यवाही करेगा। विक्रय प्रमाण–पत्र को निलम्बित करने से पूर्व नगरीय फेरी समिति अथवा प्राधिकृत अधिकारी प्रारूप–5 में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। नोटिस के उत्तर के परीक्षण के बाद, नगरीय फेरी समिति, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विक्रय प्रमाण–पत्र को निरस्त कर सकेगा या नोटिस को निरस्त कर सकेगा या पथ विक्रय प्रमाण–पत्र को निलम्बन की स्थिति में रख सकेगा। नगरीय फेरी समिति के आदेश के विरूद्ध अपील व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर यथास्थिति नगरपालिका के महापौर अथवा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। अपील पैंतालीस दिवसों में अभिनिर्णीत की जा सकेगी।

(ठ) स्थिर और चल पथ विक्रेताओं के अतिरिक्त अन्य श्रेणी–चल और स्थिर पथ विक्रय के अतिरिक्त ठेले पर, सिर पर भार रखकर और साप्ताहिक बाजार, त्यौहारी मेला एवं मौसमी मेला में पथ विक्रय को वर्गीकृत किया जा सकेगा।

(ड) पथ विक्रय प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए वरीयता हेतु व्यक्तियों की अन्य श्रेणी–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, शारीरिक रूप से विकलांग, अल्पसंख्यक आदि के अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) के कार्डधारकों, गरीबों, विधवाओं और अंत्योदय कार्ड धारकों को वरीयता सूची में शामिल किया जा सकता है।

(ढ) जन उद्देश्य, जिसमें पुनर्स्थापन किया जाय, और पथ विक्रेताओं के पुनर्स्थापन की रीति–

(एक) नगरपालिका पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय परिक्षेत्र में उपलब्ध रिक्त स्थान पर पुनर्स्थापित कर सकेगी;

(दो) पथ विक्रेताओं को निर्दिष्ट स्थान से पुनर्स्थापित करने के निम्नवत् कारण होंगे:–

(क) विकास कार्यो का निर्माण और अनुरक्षण,

(ख) यातायात और परिवहन के सुगम प्रवाह में अवरोध,
(ग) कानून और व्यवस्था की समस्या,
(घ) आपात्कालीन स्थिति,
(ड़) स्थान को पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित होने पर,
(च) पथ विक्रय परिक्षेत्र की समावेश क्षमता से अधिक पथ विक्रेताओं की संख्या होने पर,
(छ) तत्कालीन विद्यमान परिस्थितियों में नगरीय फेरी समिति की राय।

(तीन) (क) पथ विक्रेता को पुनर्स्थापन से पूर्व प्रारूप–6 में एक माह की नोटिस दी जायेगी,

(ख) नोटिस के अनुपालन में पथ विक्रेता द्वारा पुनर्स्थापन के स्थान पर जाने में असफल होने की दशा में, प्रपत्र–7 में बेदखली की जा सकेगी।

(ण) पथ विक्रेता की बेदखली की रीति–पथ विक्रेता जिसका विक्रय प्रमाण –पत्र अधिनियम की धारा 10 के अधीन निरस्त किया गया है, को बेदखल किया जायेगा।

(त) बेदखली हेतु नोटिस देने की रीति–नगरीय फेरी समिति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तीस दिवस से अनधिक की अवधि हेतु बेदखली की नोटिस दी जायेगी।

(थ) बेदखली के असफल होने पर पथ विक्रेता को भौतिक रूप से बेदखल करने की रीति–बेदखली के आदेश के अनुपालन में स्थान खाली करने में असफल रहने की स्थिति में पथ विक्रेता के सामान का अभिग्रहण कर लिया जायेगा और उसे भौतिक रूप से बेदखल कर दिया जायेगा।

(द) नगरपालिका द्वारा अभिगृहीत समानों की सूची तैयार करने और निर्गत करने सहित सामानों का अभिग्रहण करने की रीति–

(1) यदि पथ विक्रेता नोटिस में दी गई अवधि व्यतीत होने के पश्चात स्थान खाली करने में असफल रहता है तो नगरपालिका उसे बेदखल करने के अतिरिक्त उस पथ विक्रेता के सामान का अभिग्रहण कर सकती है।

(2) अभिगृहीत सामानों की सूची तैयार की जायेगी और उसकी एक प्रति उस पथ विक्रेता को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ध) अभिगृहीत सामानों के वापसी और इस हेतु शुल्क प्रभारित करने की रीति–

(1) पथ विक्रेता विहित शुल्क का भुगतान करने पर और इस आशय का वचन (अण्डरटेकिंग) देकर कि वह हटाये गये स्थल पर पुनः पथ विक्रय नहीं करेगा, दो दिन के भीतर अपना सामान वापस ले सकेगा। नाशवान वस्तुयें शुल्क प्राप्त होने के उसी दिन अवमुक्त की जा सकेंगी। यदि सामान विनिर्दिष्ट समय में वापस नहीं लिया जाता तो नगर पालिका नियमानुसार सामान का निस्तारण कर सकेगी।

(2) समान वापसी के शुल्क का निर्धारण नगरीय फेरी समिति द्वारा किया जायेगा।

(न) नगरीय फेरी समिति के कृत्यों की सामाजिक सम्परीक्षा की रीति और प्रारूप–

(1)प्रत्येक नगरीय फेरी समिति, अधिनियम की धारा 26(1) के अनुसार बनाई गई प्रविष्टियों का अंकन करते हुए, विक्रय प्रमाण–पत्र निर्गत करने के समय और पथ विक्रेता से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों की समय–रेखा विनिर्दिष्ट करते हुए अपने कार्यालय में नगर पथ विक्रेता चार्टर प्रदर्शित करेगी।

(2) नगरीय फेरी समिति, पथ–विक्रेताओं से सम्बन्धित विवरणों का एक पंजिका अनुरक्षित करेगी। पथ–विक्रेताओं का एक डाटा बेस विकसित किया जायेगा।

(3) सामाजिक सम्परीक्षा योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन ,उनके लक्ष्य और उनसे प्राप्त वास्तविक लाभों के सम्बन्ध में सूचनायें उपलब्ध करायेगी। सामाजिक सम्परीक्षा संचालित करने के लिए प्रत्येक नगरपालिका में एक या अधिक सामाजिक सम्परीक्षा दल बनाया जायेगा। प्रत्येक दल में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य भी सम्मिलित होगे–

(एक) सामान्य–1
(दो) अन्य पिछड़ावर्ग–1
(तीन) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति–1
(चार) महिला–1
(पॉच) पथ विक्रेता–1

सदस्य की शैक्षिक योग्यता, अर्हता, मापदण्ड का निर्धारण और उनका चयन, नगर निगमों में नगर आयुक्त एवं नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। सामाजिक सम्परीक्षा दल के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण नगर निगमों में नगर आयुक्त और नगरपालिका परिषदो तथा नगर पंचायतों में जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। सामाजिक सम्परीक्षा दल अभिलेखों का परीक्षण करेगा, पथ विक्रय से सम्बन्धित कृत्यों , उनकी आवश्यकता, उपयोगिता, उपलब्धियों लाभार्थियों के जीवन स्तर के उन्नयन पर प्रभाव और जन सामान्य की सुविधा आदि का भौतिक सामुदायिक सहभागिता में पारदर्शी रीति से करेगा। इस हेतु अभिलेखों का रख–रखाव नगरीय फेरी समिति, द्वारा किया जायेगा।

(घ) शर्तें जिसके अन्तर्गत निजी स्थल, प्रतिबन्ध रहित पथ विक्रय परिक्षेत्र, प्रतिबन्धित पथ विक्रय परिक्षेत्र और पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित किये जायेंगे–

नगरीय फेरी समिति, स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार निजी स्थानों को प्रतिबन्ध रहित पथ–विक्रय परिक्षेत्र, प्रतिबन्धित पथ विक्रय परिक्षेत्र और पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित करने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करेगी।

(ङ) पथ विक्रय के संबंध में नियम और शर्तें जिसके अन्तर्गत जनस्वास्थ्य और स्वच्छता बनाये रखने हेतु अनुपालन किये जाने वाले मापदण्ड भी है:

(1) स्थिर पथ –विक्रय के लिए स्थायी संरचना का निर्माण पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।

(2) पथ–विक्रेता को सेवाओं की उपलब्धता के लिए नगर पालिका द्वारा

की पथ विक्रय की गतिविधियां व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती है। भविष्य में रात्रिकालीन बाजारों या बाजार बन्दी के दिन पथ विक्रय की अनुमति देकर इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। नगरीय फेरी समिति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस हेतु नियम और शर्तें विनिर्मित कर लागू कर सकेगी।

(य) प्रतिबन्ध रहित पथ विक्रय परिक्षेत्र, प्रतिबन्धित पथ विक्रय परिक्षेत्र और पथ विक्रय निषिद्ध परिक्षेत्र के निर्धारण का सिद्धान्तः–

प्रतिबन्ध रहित पथ विक्रय परिक्षेत्र, प्रतिबन्धित पथ विक्रय परिक्षेत्र, पथ विक्रय निषिद्ध परिक्षेत्र या क्षेत्र या स्थान का निर्धारण सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा नगरीय फेरी समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जायेगा। सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं, व्यावहारिकता और मूलाधार को दृष्टिगत रखते हुए उपविधियाँ बनाई जायेंगी।

(यक) पथ विक्रय परिक्षेत्र की धारण क्षमता के निर्धारण का सिद्धान्त और वचनबद्ध व्यापक जनगणना और सर्वे की रीति–

(1) पथ विक्रय परिक्षेत्र की धारण क्षमता अधिनियम की धारा 3(2) के प्राविधानों के अनुसार तय की जायेगी जो वर्ष 2011की जनगणना के अनुसार नगर की जनसंख्या के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। धारण क्षमता का निर्धारण करते समय उपलब्ध स्थान, परिवहन, जनसंख्या का घनत्व और समुचित आवागमन पर भी विचार किया जायेगा। सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा उपरोक्त उल्लिखित मापदण्डों और स्थानीय परिस्थितियों के प्रकाश में धारण क्षमता निर्धारण की जायेगी।

(2) पथ विक्रेताओं की जनगणना और सर्वेक्षण प्रारूप–1 पर किया जायेगा। स्थल सर्वेक्षण और पंजीकरण के सत्यापन के पश्चात् जनसंख्या और सर्वेक्षण किया जायेगा।

(यख) निम्नलिखित के अध्यधीन गें पुनर्स्थापन के सिद्धान्त–

(एक) जब तक प्रश्नगत भूमि के संबंध में स्पष्ट और तत्काल आवश्यकता न हो, पुनर्स्थापन से यथासम्भव बचा जाय;

(दो) नियोजन और पुनर्वास योजनाओं को कियान्वित करने में प्रभावित पथ विक्रेताओं को या उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा;

(तीन) प्रभावित पथ विक्रेताओं को इस प्रकार पुनर्स्थापित किया जायेगा कि वे अपनी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार ला सकें या कम से कम बेदखली के पूर्व के स्तर को कायम रख सकें;

(चार) नई अवस्थापना विकास योजनाओं द्वारा जनित आजीविका सुअवसरों में हटाये गये पथ विक्रेताओं को समायोजित किया जायेगा ताकि वे नई अवस्थापना द्वारा उत्पन्न आजीविका अवसरों का उपयोग कर सकें;

(पॉच) परिसम्पत्तियों की हानि से बचा जायेगा और हानि होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति दी जायेगी;

(छः) भू–स्वामित्व का कोई हस्तान्तरण या भूमि में अन्य अभिरूचि ऐसी भूमि

पर पथ विक्रेताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, और इस हस्तान्तरण के परिणाम स्वरूप कोई पुनर्स्थापन इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा;

(सात) बलपूर्वक बेदखली के कार्यों की जाँच और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार व्यापक उपाय करेगी;

(आठ) प्राकृतिक बाजार जहाँ पथ विक्रेता पचास वर्षो से अधिक समय से व्यवसाय संचालित कर रहे है, को धरोहर बाजार घोषित किया जायेगा और ऐसे बाजारों से पथ विक्रेता पुनर्स्थापित नहीं किये जायेंगे।

09/1/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

प्रारूप–1

निकाय का नाम.....

पथ विकेता की रंगीन पासपोर्ट साइज की अद्यतन फोटो

कमांक.....

पथ विकेता के लिये सर्वेक्षण प्रपत्र

[पथ विकेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 की धारा 3 के अन्तर्गत]

1. नाम.....
2. लिंग.....
3. माता–पिता का नाम.....
4. पता – (एक) स्थानीय .....
   (दो) स्थायी .....
5. आयु.....
6. पहचान–पत्र (यदि उपलब्ध हो).–(एक) पहचान पत्र संख्या.....
   (दो) जारी कर्ता का पदनाम.....
7. दूरभाष संख्या(यदि उपलब्ध हो).....
8. धर्म.....
9. अर्हता.....
10. बैंक खाता संख्या (यदि कोई हो).....बैंक का नाम.....
11. परिवार के सदस्यों का विवरण–

क्रमांक	नाम	आयु	पथ विक्रेता से सम्बन्ध

12. **पथ विक्रय का विवरण–**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	व्यवसाय का स्थान	व्यवसाय का अनुभव	व्यवसाय में संलग्न होने की तिथि	व्यवसाय में निवेश की धनराशि	मासिक आय	व्यवसाय की समयावधि	अन्य

प्रारूप–2

निकाय का नाम.....

कमांक.....

पथ विक्रेता
रंगीन पासपोर्ट
साइज की
अद्यतन फोटो

पथ विक्रेताओ के पंजीकरण हेतु आवेदन –पत्र/वचनवद्धता

(पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 की धारा 5 के अन्तर्गत)

5. नाम.....
6. माता–पिता का नाम.....
7. पता – (क) स्थानीय .....
   (ख) स्थायी .....
4. आयु.....
5. पहचान–पत्र (यदि उपलब्ध हो).–(क) पहचान पत्र संख्या.....
   (ख) जारी कर्ता का पदनाम.....
6. दूरभाष संख्या(यदि उपलब्ध हो).....
8. अर्हता.....
8. परिवार के सदस्यों का विवरण–

कमांक	नाम	आय	पथ विक्रेता से सम्बन्ध

9. **पथ विक्रय का विवरण–**

कमांक	व्यवसाय का नाम	व्यवसाय का स्थान	व्यवसाय का अनुभव	व्यवसाय में संलग्न होने की तिथि	व्यवसाय में निवेश की धनराशि	मासिक आय	व्यवसाय की समयावधि	अन्य

10. पथ विक्रय का स्वरूप (चल/स्थिर):

(एक) यदि चल है तो मुहल्ला/वार्ड , सामग्री का नाम और साधन.....

(दो) यदि स्थिर है तो स्थान, मुहल्ला एवं वार्ड, भूमि का क्षेत्रफल और सामग्री.....

11. पथ विक्रय की अवधि–

12. राशन कार्ड की संख्या तथा जारी करने वाले कार्यालय का नाम–

13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/

अल्पसंख्यक/शारीरिक रूप से विकलांग, महिला हैं तो प्रमाण

पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें– .....

14. पंजीकरण शुल्क .....

वचनवद्धता (अण्डरटेकिंग)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....घोषण करता/करती हूँ कि –(1) मैं पथ विक्रय का कारबार स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से करूँगा/करूँगी। (2) मेरे पास आजीविका का अन्य साधन नहीं है। (3) मैं पथ विक्रय प्रमाण पत्र अथवा उसमें विनिर्दिष्ट स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी प्रकार से, जिसमें किराया भी सम्मिलित है, हस्तान्तरित नही करूँगा/करूँगी।

पथ विक्रेता का हस्ताक्षर

निकाय का नाम...

क्रमांक......................

पथ विक्रय प्रमाण पत्र(Certificate of Vending)

{पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 की धारा 4 के अन्तर्गत}

पथ विक्रेता का नाम श्री / श्रीमती...वेण्डर कोड..............................

पिता / पति का नाम..

वर्तमान निवास स्थान...

....

पथ विक्रेता की पासपोर्ट साइज का रंगीन अद्यतन फोटो

नगर पथ विक्रय समिति (Town Vending Committee)की बैठक दिनांक ....में लिए गए निर्णय के क्रम में आपको जोन– ....में बाजार / मुहल्ला.................... मार्ग.............................

....(वार्ड..................) में....................... मी0 (............वर्ग मी0 क्षेत्रफल)

में अस्थायी रूप से प्रातः ....बजे से सायं.............बजे तक के लिए स्थिर पथ विक्रय प्रमाण –पत्र / चल विक्रय प्रमाण– पत्र 31 मार्च ....तक के लिए प्रदान की जाती है, जिसका सीमांकन एवं प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे–

स्थिर प0 विक्रय की सीमांकन– पूर्व.. चल पथ विक्रय का संचालन क्षेत्र

पश्चिम.. ....

उत्तर.. ....

दक्षिण ....

<u>शर्तें एवं प्रतिबंध</u>

(एक) स्थिर पथ विक्रय के लिए स्थायी संरचना निर्माण करने पर रोक रहेगी,

(दो) पथ विक्रेता, नगरीय पथ विक्रय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का नियमित रूप से, समय पर भुगतान करेगा,

(तीन) पथ विक्रय के दौरान जनित अपशिष्ट सड़क, फुटपाथ, या नाली या सीवर में नहीं फेंका जायेगा। अपशिष्ट डस्टबिन में एकत्र किया जायेगा और घर–घर से अपशिष्ट एकत्र करने वाली नगरपालिका द्वारा अधिकृत एजेन्सी को हस्तगत कराया जायेगा। इस सेवा हेतु उन्हें मासिक प्रयोक्ता प्रभार भुगतान करना होगा।

(चार) प्रत्येक पथ विकेता विक्रय–स्थल और उसके संलग्न क्षेत्र में स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा। खाद्य पदार्थ बेचने वाले पथ विकेता जन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा।

(पॉच) पथ विक्रय प्रमाण –पत्र में उल्लिखित आवण्टित स्थल और समय पर ही पथ विक्रय किया जायेगा। इसका उल्लंघन अधिनियम और इस योजना का उल्लंघन माना जायेगा। और पथ विकेता अधिनियम के प्राविधानों के अधीन नियत शास्ति जिसमें पथ विक्रय प्रमाण–पत्र का निस्तीकरण भी सम्मिलित है, का दायी होगा,

(छ) पथ विकेता नागरिक सुविधाओं का रख–रखाव और संलग्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(सात) पथ विकेता सुनिश्चित करेगा कि पथ विक्रय की गतिविधियों के कारण यातायात/वाहनों को सुगम प्रवाह और जन सुविधायें बाधित न हों।

(आठ) पथ विकेता प्रतिबन्धित वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। वे ऐसी कोई गतिविधि कार्य/व्यापार/सेवा कार्य नहीं करेंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों या लोक बाधा उत्पन्न करते हों।

(नौ) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की , धारा 18 के प्राविधानों के अधीन स्थान की उपलब्धता पर संलग्न पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विकेता पुनर्स्थापित किये सकते है।

(दस) पथ विकेता, नगर पथ विक्रय समिति, नगर पालिका और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण करेगा।

(ग्यारह)पथ विकेता द्वारा उपरिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार शास्ति, जिसमें पथ विक्रय प्रमाण –पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, पथ विकेता पर आरोपित की जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी

टाउन वेंडिंग कमेटी

प्रारूप–4

निकाय का नाम

पथ विकेता का परिचय–पत्र

पथ विकेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विकय विनियमन) अधिनियम 2014

की धारा 6(3) के अन्तर्गत

कमांक.....

पासपोर्ट साइज का अद्यतन रंगीन फोटो

1. पथ विकेता कोड सं0–.....
2. वेंडर का नाम.....
3. पिता/पति का नाम.....
4. पता.....
5. टेलीफोन/मोबाइल नं0.....
6. व्यवसाय की प्रकृति.....
7. श्रेणी (स्थिर/चल).....

8. पथ विकय का स्थान./वेंडिग जोन–.....
9. पथ विकय की अवधि –..... से ..... तक

10. परिवार के नाम निर्देशिती का नाम.....

11. वैधता.....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
टाउन वेंडिग कमेटी

निकाय का नाम.....

पथ विक्रय प्रमाण पत्र निरस्त/निलम्बित किए जाने हेतु नोटिस

[पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ-विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 की धारा 10के अन्तर्गत]

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....वेण्डर कोड.....पिता/पति का नाम.....वर्तमान निवास स्थान/ पता.....
.....
.....

आपके आवेदन पत्र के कम में नगरीय पथ विक्रय समिति (Town Vending Committee) की स्वीकृति दिनांक .....द्वारा लिए गए निर्णय के कम में पत्रांक.....दिनांक .....द्वारा आपको जोन–..... के अन्तर्गत बाजार/मुहल्ला .....मार्ग ..... (वार्ड.....)में मी0 X .....मी0 (.....वर्ग मी0 क्षेत्रफल) में स्थिर/चल पथ विक्रय –कार्य संचालित किए जाने का प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) उसमें अंकित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया था।

1. अब , आपको सूचित करना है कि –

आपने अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई नियमावली या योजना के अन्तर्गत पथ विक्रय को विनियमित करने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट निम्नलिखित नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है–

(क).....

(ख).....

(ग).....

2. आपने पथ विक्रय प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण तथ्यों कपट और झूठी सूचनाओं के आधार पर प्राप्त किया है जो निम्नलिखित है/है–

(क).....

(ख).....

(ग).....

उपरोक्त के आलोक में आपसे दिनांक.....को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा आवश्यक अभिलेखों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। आप द्वारा उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट समय में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। परिणामस्वरूप आपके पक्ष में निर्गत पथ विक्रय प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। विवेचना की अवधि में आपका पथ विक्रय प्रमाण–पत्र निलम्बित रहेगा।

दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी

टाउन वेंडिग कमेटी